तारां. वि.स.प्रश्न क्र. - 1782 परिशिष्ट (1)

[23/2/2026]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

दिसम्बर,2024

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **06/12/2024**

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/12/2024** विभाग का नाम : **महिला एवं बाल विकास**

विषय : **लाड़ली बहिन योजना के लिए अनुपूरक बजट प्रावधान ।**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **15**) **श्रीमहेश परमार**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) प्रदेश में वंचित लाड़ली बहिनों को लाभांवित करने हेतु नए पंजीयन कब शुरू किए जावेंगे? (ख) बहिनों की 1250 रुपए की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए की राशि हेतु बजट कब बढ़ाया जावेगा? (ग)लाड़ली बहिनों को इस अनुपूरक बजट में नई बहिनों को जोड़ने एवं 3000 रुपए राशि प्रदान करने की क्या योजना हैं? बतावे। (घ). क्या लाड़ली बहिना योजना में ज्यादा से ज्यादा लाभ बहिनों को देने के लिए सरकार उम्र का दायरा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष करने का प्रावधान कब लागू करेगी?यदि हां तो कब तक? (ङ) क्या लाड़ली बहिना योजना में ज्यादा से ज्यादा लाभ बहिनों को देने के लिए सरकार उम्र का दायरा 60 वर्ष से बढाकर आजीवन करने का प्रावधान कब लागू करेगी?यदि हां तो कब तक?

महिला एवं बाल विकास मंत्री(सुश्री निर्मला भूरिया):

(क) से **(ग)** वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। **(घ)** योजना अंतर्गत आयु सीमा घटाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अत: शेष का प्रश्न नहीं। **(ड.)** वर्तमान में आयु सीमा बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, अत: शेष का प्रश्न नहीं।

<u>नोट: उपरोक्त विभाग द्वारा प्रेषित उत्तर विधान पोर्टल पर उपलब्ध है।</u>

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

परिशिष्ट - 01

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

फरवरी, 2024

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/02/2024

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/02/2024 विभाग का नाम : **महिला एवं बाल विकास**

विषय : **लाडली बहना योजना ।**

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 462) **श्रीमहेश परमार**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** महोदय यह बतांने की कृपा करेंगे कि -

(क) 05 मार्च 2023 को शुरू कि गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अन्तर्गत् म0प्र0 शासन 3000 रूपये की राशि किस दिनांक से देना शुरू करेगा? एवं कब तक इस योजना से वंचित एवं 23 वर्ष पूर्ण करने वाली सभी लाडली बहनों को इस योजना से किस दिनांक से लाभान्वित करेगा? अवधि एवं बजट बतावें? (ख) विधानसभा चुनाव के उपरांत 1250 रूपये से बढाकर जनवरी 2024 से राशि 1500 रूपये प्रतिमाह सभी बहनो को दिये जाने का वादा विधानसभा चुनाव में किया गया था? यदि हॉं,तो क्या कारण है कि बहनो को 1250 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह जनवरी 2024 में नहीं दिया गया है? कारण स्पष्ट करें। (ग) उक्त योजना में शासन द्वारा आवर्ती अनावर्ती व्यय आगामी 05 वर्षों के लिए कितने व्यय शीर्ष में वर्षवार विभक्त किया है?पूर्ण स्थिति विधानसभा पटल पर रखें? 05 मार्च 2023 से बैठक दिनांक तक कितनी लाडली बहने लाभांवित हुई है?कितनी लाडली बहनों को लाभांवित किये जाने का लक्ष्य का प्रावधान किया जावेंगा? (घ) क्या वर्ष 23 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुकी एवं योजना से वंछित लाडली बहनों को योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन द्वारा क्या अतिरक्त राशि का प्रावधान किया गया है?यदि हॉं,तो कितना? और यदि नही तो कब तक शासन किस दिनांक से लाडली बहनों के आवेदन मंगवाये जायेंगे?

महिला एवं बाल विकास मंत्री(सुश्री निर्मला भूरिया):

(क) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** शासकीय अभिलेखों में प्रश्नांश (ख) अनुसार कोई भी घोषणा दर्ज नहीं है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उक्त योजना में शासन द्वारा आवर्ती अनावर्ती व्यय आगामी 05 वर्षों के लिए विभिन्न व्यय शीर्ष में वर्षवार विभक्त नहीं किया है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** योजना अंतर्गत नवीन पंजीयन प्रारंभ किये जाने की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

नोट: उपरोक्त विभाग द्वारा प्रेषित उत्तर विधान पोर्टल पर उपलब्ध है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग